

के समक्ष उपस्थित रहें।

15-05-18

प्रधान लोक प्रचलन केम सेवा में पेश
हुई। प्रतिवादी राज उपस्थित। प्रतिवादीगण के जाहिर
द्वारा छ के कक्षिया की खोलेदारी भूमि खजने
3157 रकबा 1.55 हे० ग्राम सेवा के कब्जे काशन
उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। हम
लोक प्रचलन की भावना से हमारा काउन्टर-
क्लेम इस आधार पर वापस लेते हैं कि स्वयं
तहसीलदार जी की अध्यक्षता में हमारी भूमि का
स्वीकारान करवा दिया जाने। यदि हमारी भूमि
पर किसी अन्य का कब्जा पाया जाता है तो

श्री रामलाल

मीमा

मीमा

PTO


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हमें बेदखली का दावा करने की अनुमति दी
जावे।

अतः वाद वादीया डिक्री किया जाकर
प्रतिवादीगण को रखाई निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जागा है कि वे भूमि ख.नं० 3157 रकबा
1.55 हे० ग्राम सेवा के वादीया के कब्जे का इत
सब उपयोग उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें
रहसिलखण, बजीरपुर को निर्देशित किया
जाता है कि वह स्वयं की अध्यक्षता में टीम का
गठन कर प्रतिवादीगण की उपस्थिति में ख.नं०
3171, 3174, 3175, 3180, 3168 ग्राम सेवा का
सीमाज्ञान कर सीमाचिन्हों से अंकित करावे।
सीमाज्ञान में यदि प्रतिवादीगण की भूमि
पर अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है
तो वे बेदखली का दावा करने हेतु स्वयं
रहेगें। काउन्सिलर प्रतिवादीगण विद्वाकल
के माध्यम पर खारिज किया जाता है।
रहसिलखण को पालनार्थ लिख जावे। पत्रा
कैसलशुमा देकर नंबर से कम हो सब बाद
तकमील जमा जिला इन्सपेक्शन है।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी